RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-03
Issue-10
October-2018

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com [UGC Listed Journal]

छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासियों का विकास और विस्थापन: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

*मोहम्मद आमिर पाशा

पी-एचडी शोधार्थी, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, उड़ीसा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कोरापुट ओड़ीशा (भारत)

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 10 October 2018

Keywords
आदिवासी, विस्थापन, विकास

***Corresponding Author**
Email: pasha722[at]gmail.com

ABSTRACT

भारतीय समाज में आज आदिवासियों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। विस्थापन के कारण उन्हे अपने बसे-बसाए, घर-दालान, गाँव, लोग इत्यादि को छोडकर जाना पड़ता है। दुनिया को केवल भौतिक विस्थापन ही नज़र आता है। परंतु एक आदिवासी अपने मन, अपने जीवन, संस्कृति और सभ्यता से भी विस्थापित होता है। आदिवासी केवल जल, जंगल और ज़मीन तक ही सीमित नही है बल्कि ये मूल भारतीय भारत की पृष्ठभूमि को विश्व पटल पर भी प्रस्तुत करते हैं, परंतु विडम्बना ये है कि जो देश के मूल निवासियों के वंशज अब केवल 8 प्रतिशत ही बचे हैं। इनकी स्थिति और भी बदतर होती जा रही है। वहीं आदिवासियों की मूलभूत सुविधा ही प्रदान करने में सरकार असमर्थ दिख रही है। यह हालात और भी दयनीय हो जाते हैं जब विकास के नाम पर आदिवासियों का विस्थापन किया जाता है। भारत में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर आदिवासी सबसे कमजोर और वंचित लोगों की श्रेणी में आते हैं और विस्थापित भी यही आदिवासी होते हैं परंतु विकास का अल्प लाभ भी इन्हे प्राप्त नही होता। विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वाले लोगों की कुल संख्या में अनुसूचित जनजाति के लोगों की तादाद 40 प्रतिशत है। परंतु इन्हे सड़क, यातायात, बिजली, पेयजल, संचार और स्वस्थ सेवा आदि आधारभूत सुविधा से प्रायः ये वंचित ही रहते हैं।इस शोध पत्र में छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के विस्थापन का अध्ययन करेंगे साथ-साथ विस्थापन के कारण का भी पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। ज़्यादातर आदिवासी विकास के लिए तैयार की गई योजनाओं के अंतर्गत विस्थापित हुए हैं। परंतु विकास की स्थिति क्या है और यह विकास किसके लिए है। यह बता पाना मुश्किल है। इस शोध पत्र में विस्थापन के उद्देश की कितनी पूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य में हुई है इसका भी अध्ययन करेंगे। शोध पत्र पूर्णतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। द्वितीयक स्रोत में समाचार पत्र-पत्रिका, सरकारी आंकड़े, आरटीआई, संसद की रिपोर्ट और विभिन्न ब्लॉग और वैबसाइट आदि।

प्रस्तावना-

आदिवासियों का विस्थापन वैसे तो सदियों से जारी है स्वतन्त्रता पश्चात इसमे और भी तेज़ी आई है। तथाकथित विकास के नाम पर सिर्फ आदिवासियों का विस्थापन नही हो रहा है बल्कि वह उस पूरे आदिवासी संस्कृति, उनके मूल्य, उनकी सभ्यता और जीवन-शैली विस्थापित हो रही है। वैसे तो विस्थापन किसी भी समुदाय या क्षेत्र में हो सकता है परंतु आदिवासियों के साथ विस्थापन का मामला थोड़ा अलग है। अन्य दूसरे समुदाय जो विस्थापित होते हैं वह आम जन-जीवन से जुड़े हुए होते हैं उदाहरण के तौर पर प्राकृतिक आपदा से ग्रसित क्षेत्रों पर विस्थापन, दंगों से पीड़ित राज्य से विस्थापन। इस तरह के विस्थापन में उस गैरआदिवासी समूह के लिए नए परिवेश में खुद को ढालना आसान होता है। परंतु आदिवासियों के संदर्भ में यह स्थिति उलट है। अपने जंगल – ज़मीन से हटते ही यह जनजाति विलुप्त की कगार पर पहुँच जाती है। लगभग प्रत्येक देशो में विकास नीति का लक्ष्य प्राय: यही होता है कि प्रत्येक को विकास का समान अधिकार मिले परंतु भारत में स्वतन्त्रता के 60 वर्ष बाद भी यह प्रतीत होता है कि कुछ मुट्ठी भर लोगों का विकास असंख्य लोगों की कीमत पर हुआ है। जो कुछ लोग हैं वही तमाम असंख्य लोगों पर सत्ता जमाए बैठे हैं। मुख्य रूप से इस विकास की कीमत आदिवासियों ने चुकाई है। विकास नीति के निर्धारित लक्ष्य के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में बन रही परियोजनाओं के माध्यम से पूरे समाज को प्रगति की राह पर लाना है परंतु स्थिति इसके विपरीत है। अमीर और गरीब, साधान-संपन्न और साधान-विहीन के मध्य अंतर कम होने के बजाय और भी बढ़ गया है। राष्ट्रहित के नाम पर बेशुमार लोगों की जमीनें अधिग्रहित कर उन्हें न केवल विस्थापित किया गया बल्कि उनके संदर्भ में, संविधान में प्रदत्ता मूलभूत अधिकारों का भी उल्लंघन किया गया। आवश्यकता थी कि विकास परियोजनाओं से प्रदेश अथवा क्षेत्र का आर्थिक संतुलन न बिगड़े और सभी संसाधानों लाभ सभी वर्गों को प्राप्त हो लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। विकास के बदले विशेष क्षेत्रों व प्रदेशों की जनता का विध्वंस ही हुआहै। 1998 में भूमि अधिग्रहण संशोधान विधेयक, पुनर्वास बिल, फारेस्ट बिल और बायो डायवर्सिटी बिल लाए गए।छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जैसे कानूनों के तहत आदिवासियों की जमीन लेने पर रोक थी। परंतु इसके पश्चात भूमि-अधिग्रहण अधिनियम में मनचाहे संशोधन किए, जैसे 1894 के अधिनियम में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आपत्ति की अवधि 30 दिन थी, उसे घटाकर 21 दिन कर दिया गया। पहले भूमि-अधिग्रहण के नोटिस की अवधि 6 माह बीत जाने पर नए नोटिस की सीमा 3 वर्ष थी, उसे घटाकर 6 माह कर दिया। पहले डुगडुगी पिटवाकर गांव में मुनादी कराई जाती थी ताकि सभी गांव वालों को इसकी सूचना मिल जाए लेकिन संशोधित अधिनियम में केवल अख़बारों और गजट से

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

सूचित करने का प्रावधान कर दिया गया है। गजट अखबार गांव के अधिकांश लोग नहीं पढ़ पाते।

आजादी के बाद से बांधों, खदानों, ताप बिजली संयंत्रों, कॉरिडोर परियोजनाओं, फील्ड फायरिंग रेंज, एक्स्प्रेस–हाइवे,हवाई अड्डों, राष्ट्रीय पार्कों, अभायरण्यों, औद्योगिक नगरों और यहां तक कि पॉल्ट्री फॉर्म्स के लिए भी लोग विस्थापित किए गए हैं। देश का तकरीबन 60 फीसदी वनाच्छादित हिस्सा जनजातीय इलाकों में है। जिन 58 जिलों में वनाच्छादन 67 प्रतिशत या उससे अधिक है उनमें 51 जिले जनजातीय बहुल हैं।ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में देश के कोयला-भंडार का 70 प्रतिशत हिस्सा मौजूद है। देश के लौह-अयस्क का 80% हिस्सा, बाक्साइट का 60% तथा क्रोमाइट का तकरीबन 100% हिस्सा इन्हीं तीन राज्यों में है।

सेंटर फॉर साइन्स एंड एन्वायर्नमेंट स्टडी के एक अध्ययन रिच लैंड पुअर पीपल्स(2008) के मुताबिक सर्वाधिक खनिज-उत्पादन करने वाले कुल जिलों में 50 प्रतिशत जिले आदिवासी बहुल हैं। इन इलाकों में वनाच्छादन भी 28 प्रतिशत है जो कि राष्ट्रीय औसत(20.9 प्रतिशत) से ज्यादा है।विस्थापन की बड़ी वजह अनुमानतया बांधों का निर्माण है। बांधों से विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच है। बहरहाल इस बात पर विद्वानों के बीच सहमति है कि विस्थापित लोगों में अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या 40 प्रतिशत है जबकि देश की कुल आबादी में जनजातीय समुदाय के लोगों की संख्या 8 प्रतिशत है।

विकास परियोजनाओं से विस्थापित होने वाले लोगों में 40 प्रतिशत तादाद जनजातीय समुदाय के लोगों की, 20 प्रतिशत तादाद अनुसूचित जाति की और 20 प्रतिशत तादाद अन्य पिछड़ी जाति श्रेणी के लोगों की है। शोधकर्ताओं ने उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया है कि लोगों को विकास परियोजनाओं के कारण ढाई करोड़ हैक्टेयर जमीन छोड़नी पड़ी है जिसमें 70 लाख हैक्टेयर वनभूमि भी शामिल है। विस्थापित लोगों में से 25% का पुनर्वास किया गया है जबकि विस्थापित जनजातीय समुदाय के कुल लोगों में केवल 21.16% का पुनर्वास हो पाया है। शेष79% का पुनर्वास बाकी है।द राइट टू फेयर कंपेन्सेशन एंड ट्रान्सपेरेन्सी इन लैंड एक्वीजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रिसेट्लमेंट एक्ट 2013 में विस्थापित लोगों के बीच पुनर्वास के लिए शेष बचे रह गये लोगों के बारे में कोई प्रावधान नहीं है।[1]

छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें तो जनगणना के आंकड़े चिंताजनक है। छत्तीसगढ़ की आबादी लगभग 4.32 प्रतिशत बढ़ी है वहीं नक्सल प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों की आबादी में तेज़ी घट गई। जनगणना 2001 में आबादी वृद्धि दर 19.30 से घट कर 2011 में 8.76 प्रतिशत ही रह गई है। वहीं अगर विकास की बात की जाए तो आजादी के बाद संविधान सभा में आदिवासी इलाकों की खासियतों के कारण ही संविधान की पांचवीं व छठी अनुसूची का निर्माण हुआ। वहीं, आदिवासी इलाकों के विकास के लिए अलग रणनीति बनाने की भी बात कही गई थी। परंतु आज स्थिति में विरोधाभास दिखता है।

शोध के उद्देश –

- छत्तीसगढ़ में आदिवासी विस्थापन की स्थिति ज्ञात करना।
- आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापन और विकास से संबन्धित तथ्यों का अवलोकन करना।

आदिवासियों का विस्थापन और विकास कार्य-

भारत में आदिवासी विस्थापन की स्थिति बहुत चौकने वाली है। राष्ट्रिय विकास में सबसे ज्यादा योगदान जितना आदिवासियों का है उतना योगदान किसी और समुदाय का नही है। जनजाति कार्य मंत्रालय के अनुसार 1990 तक लगभग 85 लाख जंजातियों का विस्थापन विकास के कार्यों जैसे - बांध, कारखाने, खदान और अभयरणों के लिए किया जा चुका था। रिपोर्ट ऑफ द हाई लेवल कमिटी ऑन सोश्यो-इकॉनॉमिक, हैल्थ एंड एजुकेशनल स्टेटस् ऑफ ट्राइब्ल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 25 प्रतिशत आदिवासी अपने जीवन में कम से कम एक बार विकास-परियोजनाओं के कारण विस्थापन के शिकार होते हैं।

छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का विस्थापन मुख्यत नक्सल प्रभावित जिलों, कारखानो, टाइगर रिज़र्व क्षेत्रों और पावर प्लानट के लिए ज्यादा देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ राज्य जिस उद्देश को लेकर मध्यप्रदेश से विभाजित हुआ था वह उद्देश पूरा होता दिखाई नही मिलता। यह राज्य जो अपनी आदिवासी संस्कृति और वन औषदियों के लिए लिए विश्व में पहचाना जाता था अब पलायन, विस्थापन, नक्सलवादी हिंसा, आदिवासी महिलाओं की नसबंदी और पावर प्लांट के वजह से चर्चा में रहता है।जनजातीय संस्कृति छत्तीसगढ़ की पहचान है। यहां की कुल जनसंख्या का 35.77 प्रतिशत जनजातीय संस्कृति से संबंधित हैं। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 21 है। जिसमें गोंड,बैगा,कोरबा,उरांवहल्वा,भतरा,कंवर,कमार,माड़िया,मुड़िया,डैना, भारिया, बिंडवार, धनवार,नगेशिया मंढवार,खेरवार, भुंजिया, पारधी खरिया, गड़ाबा या गड़बा है। इनकी कई उपजातियां भी हैं। इनमें से अबूझमाडिया, बैगा, कोरवा जाति की प्रमुखता है। गोंड जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है।

छत्तीसगढ़ में विपुल प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं। वन और खनिज संपदा से सम्पन्न है यह राज्य का 59285.27 हेक्टेयर भू भाग वनों से आच्छादित है जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के कुल भू क्षेत्रफल का 43.85 है। भारत का 70 फीसदी तेंदूपत्ता का उत्पादन छत्तीसगढ़ से होता है। खनिज समपदाओं में 16 प्रकार के खनिज यहां पाए जाते हैं। इनमें चूना पत्थर, तांबा, लौह अयस्क, मैंगनीज, कोरण्डम,डोलोमाइट, टिन अयस्क, बाक्साइट, अभ्रक, सोप स्टोन यूरेनियम गेरू प्रमुख हैं।छत्तीसगढ़ के

[1] www.im4change.org.previewdns.com/hindi

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

आदिवासियों का मुख्य व्यवसाय खेती और वह पूर्ण रूप से जंगल पर आश्रित है। अखंडित मध्यप्रदेश के कुल कृषि उत्पादन का लगभग24.1 हिस्सा छत्तीसगढ़ राज्य में सम्मिलित है।

चावल यहां की प्रमुख फसल है। साल भर में केवल एक ही फसल मिलती है। यहां के संपूर्ण क्षेत्र में चावल होने के कारण इसे धान का कटोरा कहा जाता है। यह राज्य लगभग 6 सौ चावल मिलों के कारखानों को धान की आपूर्ति करता है। बात अगर खनिज सम्पदा की स्थिति पर की जाए तो ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में देश के कोयला-भंडार का 70 प्रतिशत हिस्सा मौजूद है। देश के लौह-अयस्क का 80% हिस्सा, बाक्साइट का 60% तथा क्रोमाइट का तकरीबन 100% हिस्सा इन्हीं तीन राज्यों में है। सेंटर फॉर साइन्स एंड एन्वायर्नमेंट स्टडी के एक अध्ययन रिच लैंड पुअर पीपल्स (2008) के मुताबिक सर्वाधिक खनिज-उत्पादन करने वाले कुल जिलों में 50 प्रतिशत जिले आदिवासी बहुल हैं। इन इलाकों में वनाच्छादन भी 28 प्रतिशत है जो कि राष्ट्रीय औसत(20.9 प्रतिशत) से ज्यादा है। भविष्य में यही वह क्षेत्र होंगे जो विस्थापन की मार झेलेंगे। वहीं केंद्र सरकार द्वारा दी गई धनराशि, वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के पीवीटीजीएस के विकास की केन्द्रीय क्षेत्रों की योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य को और गैर सरकारी संगठनो को को निर्मुक्त की गई राशि 5612 (लाख रूपये) है।

विवरण-

वर्ष	छत्तीसगढ़ सरकार	विश्वासनारायणपुर, जिला बस्तर	रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर, जिला बस्तर
2012-13	2000.00	6.86	4.83
2013-14	1400.00	17.12	5.78
2014-15	2212.02	8.56	3.17

तालिका ःस्रोत - वार्षिक रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स (राशि लाख में)

हालाकी सरकार लगातार आदिवासी विकास के लेकर फंड दे रही है और अनेक योजना चला रही है परंतु इसका कोई प्रभाव देखने को नही मिलता। छतीसगढ़ राज्य में 5 विशेष पिछड़ी जनजातियों अबूझमाड़िया, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर एवं बैगा के विकास के लिए विशेष अभिकरण का गठन किया गया है। लेकिन इस अभिकरण में शामिल जनजातीयां तमाम सरकारी प्रयासों के बाद भी इनकी जनसंख्या खत्म होती जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में बिरहोर जनजाति की संख्या केवल 401 रह गई है। पहाड़ी कोरवा जनजाति की संख्या भी पिछले कुछ सालो में घटते-घटते 10,825 रह गई हैं। छत्तीसगढ़ की जनजातियों के साथ एक बड़ा संकट ये भी है कि जंगल के क्षेत्रों में रहने के कारण आमतौर पर सरकार द्वारा संचालित योजनाएं इन तक नहीं पहुँच पाती, केंद्र और राज्य सरकार की रोजगार गारंटी योजना सहित दूसरी योजनाओं से भी ये जनजातिया दूर है। जंगलों में भोजन की अनुपलब्धता के कारण कुपोषण और बीमारी इनके लिए जानलेवा साबित हो रही है, ऊपर से इनके इलाके में होने वाला औद्योगिकारण की मार इन पर पड़ रही हैं। और इन्हें अपनी जामीन और परंपरागत व्यवसाय से विस्थापित होना पड़ रहा हैं।

छत्तीसगढ़ में आदिवासी विस्थापना की स्थिति-

मध्य भारत में वैसे तो विस्थापन के सही आंकड़े ज्ञात कर पाना मुश्किल है। तीन राज्य छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड सबसे ज्यादा खनिज सम्पदा वाला राज्य है। जहां विस्थापन के ज्यादा मामले सामने आते है। यह तीनों राज्य आदिवासी बहुल और माओवादी हिंसा के सबसे ज्यादा शिकार है। सरकार और माओवादियों के बीच यह मूल भारतीय समाज जो अब तक सबसे ज्यादा प्रताड़ित और अविकसित है पिसता जा रहा है। वैसे तो बहुत से कानून है जो आदिवासियों की ज़मीन के संबंध में है जो उनके अधिकारो की रक्षा करते हैं। जिसमे सरकार की योजना, भूमि अधिग्रहण संबंधी कानून, आदालतों के फैसले और सरकार के आदेश जो आदिवासी क्षेत्र की रक्षा करने ले संदर्भ में हैं। इसके बावजूद भी सरकारी संस्थान और निजी कंपनियाँ कानूनों का ही कानूनी उपयोग निकाल कर भूमि का अधिग्रहण कर लेती है। इन चलाकी से किए गए भूमि अधिग्रहण में बेनामी भूमि का बेचना या फर्जी तरीके से आदिवासियों के द्वारा ही आदिवासियों की ज़मीन को खरीदने के कई मामले छत्तीसगढ़ में देखने को मिलते हैं इसमे मुख्यतः पावर प्लांट, स्टील प्लांट और कोल माफियाओं के द्वारा किया जाता है। छत्तीगढ़ के चंपा-जंजगीर जिले में कुछ पावर कंपनी के ऐसे कई मामले देखने को मिले हैं जिसमे आदिवासी परिवारों को माध्यम से ही ज़मीन पर कब्जा किया जाता है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी इतने शिक्षित और सक्रिय नही हैं कि वह ज़मीन संबंधी लेख-जोख रख सके साथ-साथ ज़मीन के पट्टे के संबंध में भी इन्हे कोई ख़ासी जानकारी देखने को नही मिलती। सरकारी दांव – पेंच का रास्ता भी बहुत कठिन है।, क्योकि इनके अधिकारों को लेकर सरकार की योजना और त्वरित गति से काम करने के तरीके सिर्फ कागज़ तक ही सीमित है।

छत्तीसगढ़ में विस्थापन की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है।सरकार के पास विस्थापन के वही आंकड़े हैं जो किसी सरकारी परियोजना के तहत वियस्थापित किए गए हैं। परंतु वास्तविक स्थिति बहुत ही अलग है। छत्तीगढ़ में ज़्यादातर आदिवासी विस्थापन विकास के नाम पर किए गए हैं। साथ – साथ नक्सल समस्या के कारण भी विस्थापन (IDPs आईडीपीएस – इंटरनल डिसप्लेसमेंट) हो रहा है। विस्थापितों के लिए कोई सुविधा मुहैया नही की जाती ना ही विकास की परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है। बिलासपुर और मरवाही अचानकमर टाइगर रिज़र्व क्षेत्र में भी यही हाल है।इसमे कोर और बफर क्षेत्र को मिलकर कुल 914.017 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आता है। 20 फरवरी 2009 को अचानकमर टाइगर रिज़र्व एरिया की नोटिस जारी होती है और 25 गाँव विस्थापन के लिए चयनित किए जाते हैं। शुरुआत में यहाँ काफी भयावह स्थिति देखने को मिलती है। शुरुआत में 6 गाँव के कुल 247 परिवारों का विस्थापन किया गया था यह कार्य वर्ष 2009 से शुरू हुआ था जो आज तक पूरा नही हो पाया है। 19 गाँव का विस्थापन आज भी नही हुआ है। ध्यान देने वाली बात यह है कि विस्थापन के उद्देश कि पूर्ति आज भी नही हो सकी है। बाघों कि संख्या में तेज़ी से गिरावट देखने को मिलती है। अचानकमार टाइगर क्षेत्र में विस्थापन बाघ संरक्षण के उद्देश से किया

गया था परंतु आज स्थिति और भी दयनीय है। अचनाकमार टाइगर रिज़र्व क्षेत्र में 6 गाँव के विस्थापन का विवरण -

क्रमांक	विस्थापित ग्राम	विस्थापित परिवारों की संख्या
1	बांकल	30
2	बोकरकछार	38
3	सांभरधसान	17
4	जल्दा	74
5	कूबा	22
6	बहाउड़	66
कुल योग		247

तालिका 2स्रोत -नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया की रिपोर्ट

आचनकमार में हो रहे विस्थापन पर सुनील कुमार की रिपोर्ट के अनुसार इन परिवारों को विस्थापन के नाम पर सिर्फ एक स्थान से उठा कर दूसरे स्थान में भेज दिया गया है। परंतु किसी प्रकार की कोई सुविधा नही दी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन गाँव के लोगों को विस्थापन बेहद ही भयावह तरीके से किया गया। विस्थापन के कानून के हिसाब से सारी बातों को दरकिनार कर दिया गया। कानूनन विस्थापन से पहले ना तो पंचायत की गई ना ही किसी तरह के नियम बनाए गए। विस्थापन के बाद बैगा आदिवासियों को 10 - 10 लाख रुपया, घर, 5 एकड़ ज़मीन, तालाब, ट्यूब वेल, पीने के पानी की पूर्ण व्यवस्था आदि आधारभूत सुविधा देनी थी जो आज तक नही दी गई। अब ना तो इनके पास ज़मीन है ना घर और जो रहने के लिए जगाह दी गई है उसका पट्टा भी नही दिया गया है। अपनी ज़मीन से बेदखल यह आदिवासीयों को उनके बसे बसाये घर को उजाड़ कर किस तरह का विकास किया जाएगा यह नही कहा जा सकता। अब इस विस्थापन के उद्देश को लेकर जो विस्थापन किया गया वह विस्थापन पूरी तरह से असफल रहा और उद्देश टाइगर रिज़र्व क्षेत्र का तो कम से कम इस क्षेत्र में बाघ की संख्या में वृद्धि होनी थी जो नही हुई। आरटीआई और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बाघों की संख्या में भारी कमी देखने को मिली है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून (डबल्यूआईआई) से आरटीआई के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार अचनाकामर टाइगर रिज़र्व (एटीआर) में बाघों की संख्या 11 से 14 होने की जानकारी दी गई है। बाघों की संख्या में भी एटीआर में हमेशा से विवादों की स्थिति रही है। वर्ष 2004 में 26 और 6 साल बाद 2010 में यह संख्या 11 से 14 बताई गई। परंतु यह साफ नही हो सका की यह कमी कैसे हुई। वैसे एटीआर के 100-150 किलोमीटर में बड़ी मात्र में कारखाने और पावर प्लांट है। पिछले कुछ सालो में यहाँ के तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। इस बात से भी इंकार नही किया जा सकता की एटीआर में अनुकूल पर्यावरण ना होने के कारण बाघ अमरकंटक कान्हा कारीडोर से पलायन कर गए हों। इसी वर्ष एनटीसीए द्वारा देश भर में में बाघों के आंकड़े जारी किए गए जिसमे छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या 46 बताई गई। सरकारी लचर व्यवस्था ना तो विस्थापन और ना ही विकास परियोजनाओं को सफल बना सकी।

विकास के कार्यो को अगर ध्यान में रखा जाए तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ गज़ट नोटिफिकेशन (1982-2000, 2001-07) के अनुसार वर्ष 1982 से 1990 तक विकास परियोजनाओं के लिए 51016.56 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया, वर्ष 2001 से 2007 के के बीच कुल 103066.7 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण जल स्रोत, कारखाने, खदान, रक्षा, सामाजिक विकास, हाउसिंग बोर्ड, आदि क्षेत्रों के लिए किया गया है।अब तक छत्तीसगढ़ में विस्थापन के प्राप्त आंकड़ों के आधार पर लगभग 60 हज़ार करोड़ रुपया खदानों और यातायात पर निवेश किया गया है। वही बस्तर में टाटा और एस्सार समूह के स्टील प्लान भी लगाने की तैयारी है। जिसमे भरी मात्र में विस्थापन होने की संभावना है। ज़्यादातर आंकड़े लगभग 2007 के हैं इन सात आठ सालों में स्थिति और भी भयावह हो सकती है। वर्ष 2004 में ऐसे कई केस देखने को मिलते है जहां ज़बरदस्ती विस्थापन किया गया है। पीपल एंड प्लान नमक एक वैबसाइट के अनुसार 17 लाख एकड़ ज़मीन राष्ट्रिय अभ्यारण और पर्यटन के लिए अधिग्रहित की गई। जिसमे ज़्यादातर दलित और आदिवासी समुदाय के लोग थे। (कुजूर जे एम,2008)

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विस्थापन / IDPs (इंटर्नली डिसप्लेसमेंट पर्सन) –

दक्षिण छत्तीसगढ़ का क्षेत्र बस्तर गंभीर नक्सल समस्या से जूझ रहा है। इस नक्सल हिंसा से और भी ज्यादा समस्याएँ उत्पन्न हो रही है। बस्तर वह क्षेत्र है जो असीम खनिज समपदा से भरा हुआ है। वैसे तो सरकार के पास ऐसे कोई आंकड़े नही है जो आंतरिक विस्थापन (छत्तीगढ़ से आंध्रप्रदेश) की वास्तविक स्थिति बता सके। बीबीसी संवाददाता सलमान रावी के अनुसार सिविल सोसाइटी के कुछ अनुमानित आंकड़ो के अनुसार विस्थापन के आंकड़े लाखो में है। 2008 से अब तक की स्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार सलवा जुडूम को आधिकारिक तौर पर लागू किया तो बस्तर क्षेत्र के लगभग 600 गाँव खाली हो चुके है इस बस्तर डिवीज़न में (बस्तर, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर और दांतेवाड़ा) एक बड़ा क्षेत्र आता है। यह दंडकारण्य का क्षेत्र छत्तीसगढ़, उड़ीसा,तेलंगाना (आंध्र प्रदेश) और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों से मिलकर बना है। राज्य की लगभग 90 प्रतिशत नक्सल घटनाएँ इस बस्तर डिवीजन में ही होती है। सलवा जुडूम एक रूप से आदिवासी विस्थापन के लिए जिम्मेदार माना जाता है क्योकि सलवा जुडूम एक प्राक्सी वार की तरह काम कर रहा था। उस नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से ही निकले आदिवासी को ही नक्सलियों के खिलाफ उतारा गया। जो अपनी ज़मीन को छोडने को राज़ी नही वह नक्सली करार दिये गए और जो छोड़े वो सरकार के केंप में आधारभूत सुविधाओं से भी महरूम रह गए। आदिवासियों के पास सिर्फ पलायन का ही रास्ता बचा जो था। इस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी गरीबी रेखा से भी नीचे जीवन व्यापन करते हैं।यह आदिवासी ज्यादा हुनरमंद भी नही हैं साथ-साथ शिक्षा का स्तर भी कम है। आदिवासियों का विस्थापन छत्तीसगढ़ से आंध्र प्रदेश मे होना एक गहन चिंता का विषय है। अब तक सरकार इसको लेकर कोई भी ठोस कदम नही उठाई है, हलकी इस स्थिति को और भी साफ करने और समस्या का समाधान करने के लिए विशेष शोध भी कराया जा रहा है। (पत्रिका, 6 नवंबर 2015)

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

छत्तीसगढ़ आदिवासी क्षेत्र	वर्ष 1991 – 2001	वर्ष 2001 – 2011
कोरिया	17.09	12.40
कांकेर	18.68	15.00
बीजापुर	19.30	8.76
दांतेवाड़ा	14.09	11.90
नारायणपुर	23.42	19.49
बस्तर	18.18	17.83
सरगुजा	24.67	19.74

तालिका 3जनगणना 2011 के अन्तरिम आंकड़े

अगर जनसंख्या के आंकड़ों पर नज़र डालें तो 2001 में आदिवासी की जनसंख्या वृद्धि दर 19.30 फीसद थी जो 2011 में घटकर 8.75 फीसद हो गई। आदिवासियों की जनसंख्या बेहद तेज़ी से कमी देखने को मिल रही है।

बस्तर और विकास परियोजनाएं -

गत वर्ष सरकार ने दांतेवाड़ा में अल्ट्रा मेगा स्टीलप्लांट लगाने घोषणा की,दंतेवाड़ा से करीब 40 किलोमीटर दूर डिलमिली औरबुरुंगपाल समेत करीब 10 से ज्यादागांवों इसके क्षेत्र में आते हैं। प्रधानमंत्री ने स्टील प्लांट समेत बस्तर में 24 हज़ार करोड़ के निवेश की बात कही।इस प्लांट के लिए देश की दो सबसे बड़ी कंपनियां एनएमडीसी और सेल के बीचएमओयू प्रधानमंत्री की मौजूदगी में किया गया, परंतु जबकुछ मीडिया समूह द्वारा इस गाँव का दौरा किया तो किसानों में ज़बरदस्त नाराज़गी दिखी। गांववालोंका कहना है कि यहां मेगा स्टील प्लांट आने की बात मीडिया केमाध्यम से पता चली।डिलमिली और बुरुंगपाल समेत लगभग ढाई दर्जन गांवों की ज़मीन इस प्लांट के लिएली जा सकती है। प्लांट अभी शुरुआती स्टेज में है और इसके लिए ज़मीन काअधिग्रहण किया जाना है। सरकार इस संदर्भ में कहती है कि जहां ज़रूरत होगी हम ज़मीन खरीदेंगे, लेकिन इससेकिसानों को नुकसान नहीं होगा। उनका फायदा है, क्योंकि यहां 10,000 नौकरियोंकी संभावनाएं होंगी। वहीं बस्तर में जहां ये स्टील प्लांट प्रस्तावित है वहां से कुछ दूर लोहांडीगुडामें पिछले 10 साल से निजी कंपनी टाटा का प्रोजक्ट भी रुका हुआ है।मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गांववालों का कहना है कि सरकारपर यहां के लोगों को भरोसा नहीं है, क्योंकिजब भी विकास की परियोजना आती है तो ज़मीन तो आदिवासियों की जाती है लेकिनरोज़गार बाहर के लोगों को ही मिलता है। गैर आदिवासी, जिनका इस क्षेत्र के व्यापार और राजनीति मेंवर्चस्व है, वहकाफी खुश हैं। वे रोजगार, व्यावसायिकविस्तार और बस्तर में व्यापक बदलाव की संभावनाएं देख रहे हैं जिसका ज्यादा से ज्यादा लाभ वहीं के आदिवासियों को कम और गैर – आदिवासियों को ज्यादा होगा।

रावघाट के संदर्भ में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन कीरिपोर्ट बताती है कि अगर रावघाट खदान और रेलवे लाइन अस्तित्व में आती है, तो दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों की रेड लिस्ट में शामिल 26 पादपप्रजातियां, स्तनधारियों की 22 प्रजातियां (जिनमें से 15 या तो आईयूसीएन याडब्ल्यूपीए की सूची में लुप्तप्राय या संवेदनशील हैं), बड़ी संख्या मेंकीट, जिनमें कुछ दुर्लभ भी हैं, तितलियों की 28 प्रजातियां और पक्षियों की 102 प्रजातियां खत्म हो जाएंगी। यह स्थल खनन कचरा डालने के लिए प्रस्तावितहै। रिपोर्ट में यह संभावना जताई गई है कि इससे पूरी घाटी की जल निकासी अवरुद्ध हो जाएगी, और स्थानीय संस्कृति शायद विलुप्त हो जाएगी।

निष्कर्ष एवं सुझाव –

भारत की पहचान और मूल भारतीयआदिवासियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। भारतीय समाज का वह तबका जो अपना जीवन यापन सिर्फ जल, जंगल और ज़मीन के भरोसे करता है अपने हक से ही महरूम है। वहीं भारत के लगभग आधे से अधिक खनिज पदार्थ छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा से प्राप्त होते हैं और इन स्थानो पर ज़्यादातर आदिवासी निवास करते हैं। जिन्हे विकास के नाम पर विस्थापित कर दिया जाता है। जनगणना के आंकड़ों से यह साफ प्रतीत होता है कि आदिवासियों की जनसंख्या में वर्ष 2001 से वर्ष 2011 तक लगभग 50 प्रतिशत की कमी आई है। सरकार द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में अनेक परियोजनाएं आती है और विकास के नाम पर आदिवासी समाज विस्थापन की मार झेलता है। विस्थापन के सरकारी आंकड़ों की कमी स्थिति को और भी कठिन बना देती है क्योंकि इससे आने वाली योजनाओं का सही से क्रियान्वयन नही हो पता। सरकार को यह कोशिश करनी चाहिए कि आदिवासियों के लिए बनाई गई योजनाओं को सारी और सुचारु रूप से लागू करें। साथ– साथ विस्थापन के कारकों के प्रभाव को कम किया जाए और योजनाओं को आदिवासियों के अनुरूप बनाई जाए।विस्थापन और विकास से संबन्धित समस्याओं का निदान दोनों पक्षो (सरकार और आदिवासी) के मध्य आम सहमति से ही हो सकता है।छत्तीसगढ़ सरकार के समक्ष यह चुनौती है कि वह किस तरह से आदिवासी समाज को अपने विश्वास में ले जिससे विस्थापन कम हो सके। राज्य सरकार को पड़ोसी राज्यों से तालमेल कर सीमाओं की समस्यों के संदर्भ में पुनः विचार करना होगा।

आदिवासियों का विस्थापन उनके सामाजिक, सांस्कृतिक और जीवन यापन के मूल्यों के अनुसार किया जाना चाहिए। ताकि उनकी सभ्यता संरक्षित रहे। ज़्यादातर मामलो में विस्थापन के बाद पुनर्वास नही हो पाता है सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए की पुनर्वास की प्रक्रिया पूर्ण हुई है या नही। जिससे आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों पर पूर्णविराम लग सके।

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

संदर्भ ग्रंथ सूची -

1. Melkote, S. R. (1991). *Development Communication in the Third World: Theory and Practice.*.New Delhi, India: Sage
2. सिंह, अशोक. (2012). *विकास के नाम पर विस्थापन झेलती आदिवासी महिलाएं.* वैबसाइट- pravakta.com
3. पुतुल, आलोक प्रकाश. (2007). *बस्तर लोहा गरम है.* वैबसाइट- www.hashiya.blogspot.com
4. वार्षिक रिपोर्ट.(2014-15).*जनजाति कल्याण मंत्रालय.* नई दिल्ली. वैबसाइट- www.tribal.nic.in
5. यादव. शरद कुमार. (2014). *आदिवासियों की कीमत पर विकास.* वेबसाइटhttp://www.samayantar.com
6. Punwani, Jyoti. (Jan. 27 - Feb. 2, 2007).*Traumas of Adivasi Women in Dantewada*. Retrieve: http://www.jstor.org/stable/4419179
7. Prasad, Archana. (June 25, 2016). *Adivasis and the Anatomy of a Conflict ZoneBastar 2016*. Economic and Political Weekly, Vol. 26, pp. 12-15
8. Kujur, Joseph Marianus. (2008). *Development-induced Displacement in Chhattisgarh: A Case Study from a Tribal Perspective.* Social Action, Vol. 58. Page- 31-39.
9. संघर्ष संवाद.(2015). *बस्तर में अल्ट्रा मेगा स्टील प्लांट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू.* वैबसाइट- http://www.sangharshsamvad.org/2015/05/blog-post_12.html#sthash.jELiCLsG.dpuf
10. आदिवसी विकास से विस्थापन. (2011). वैबसाइट- http://ektahindi.blogspot.in/2011/05/blog-post_7468.html12.03.2015
11. शर्मा, सुनील. (2011).*यहां खत्म हो रही है आबादी.* बिलासपुर .31 अक्टूबर 2011.
12. कुमार, संतोषमई) ., .(2013 *जनगणनाक्या खत्म हो जाएंगे छत्तीसगढ़ : के आदिवासी?*, इंडिया टुडे .2013 मई 7
13. गुप्ता, रमणिका .(2015) .*आदिवासी .विकास से विस्थापन* :नेहा पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीबूटर.

© RRIJM 2015, All Rights Reserved